न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 33/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

बनाम ....प्रार्थी

मुबारक टी स्टॉल ख्वाजा कॉलानी, अंदरकोट, दरगाह बाजार अजमेर
श्री मुबारक पुत्र श्री पीर मोहम्मद ख्वाजा कॉलोनी, अंदरकोट, दरकाह बाजार,पुलिस थाना दरगाह,अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 17.01.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग रोकने के अभियान के तहत श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी अजमेर शहर, श्री योगेश मिश्रा, प्रर्वतन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री खान मोहम्मद खॉ प्रर्वतन निरीक्षक, मुबारक टी स्टॉल ख्वाजा कॉलानी, अंदरकोट, दरगाह बाजार अजमेर पर पहुँचे । उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए अप्रार्थी की फर्म से निम्न घरेलू गैस सिलेण्डरों

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	38893	**BPCL**	15.9	21-9	6-0	Domestic Cylinder

को कब्जेराज लिया गया। वरवक्त जांच मुबारक टी स्टॉल ख्वाजा कॉलानी, अंदरकोट, दरगाह बाजार अजमेर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर चन्द्रायन गैस सर्विस, अजमेर शहर के कार्मिक अयूब खान पुत्र कय्यूम खॉ को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने के बाद आगामी आदेश तक सुरक्षित

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए । प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। उभय पक्ष को सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 03.08.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुझे आवश्यक वस्तु अधिनियम की जानकारी के अभाव में उक्त कृत्य किया गया है। भविष्य में नही करूगा।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 03.08.2022 के अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर